राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1605/2024

कौशल राम पुत्र खेराजराम, उम्र लगभग 28 वर्ष, भोजासर निवासी, पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर। ----याचिकाकर्ता

(वर्तमान में जिला जेल, बाड़मेर में बंद)।

बनाम

राजस्थान राज्य के माध्यम से पी.पी. ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री नीरज कुमार गुर्जर।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, विशेष पी.पी. श्री अरुण कुमार, पी.पी. श्री सुभाष चंद्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी-सीबी, जोधपुर द्वारा सहायता प्रदान की गई।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

15/07/2024

1. आवेदक पुलिस स्टेशन गिदा, जिला बाड़मेर में दर्ज एफआईआर संख्या 151/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332 और 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25(6), पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तार है। उसने धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए इस आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. इससे पहले कि मैं जमानत के सवाल के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करूं, वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा जो यह हैं कि 6 जुलाई, 2023 को वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया था। मोबाइल नंबर 8949476623 की लोकेशन के आधार पर उन्हें ट्रैक किया गया। जब टीम बायतु थाना क्षेत्र में होलानी से चीबी जाने वाली सड़क पर पहुंची तो दोपहर 2:55 बजे सड़क पर बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी देखी। गाड़ी के पास दो व्यक्ति खड़े थे, जिनकी पहचान पुलिस टीम ने वांछित अपराधी ओम प्रकाश और आवेदक कौशल राम के रूप में की। पुलिस टीम ने अपनी गाड़ी रोकी और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और कमांडो को खुद को घेरने के निर्देश दिए। जब कमांडो ने उन्हें घेरना शुरू किया तो दोनों अपराधियों ने अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियां पुलिस की गाड़ी और बुलेटप्रूफ जैकेट पहने कमांडो गोपाल राम को लगीं। इसके बाद दोनों अपराधी अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगे और अपने हाथ पीछे करके पुलिस टीम पर फायरिंग करते रहे। कमांडो टीम ने अपराधियों की गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की, जिससे गाड़ी रुक गई। पुलिस टीम ने वाहन के पास जाकर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और देखा कि वाहन के अंदर खून बह रहा था और

दोनों अपराधी घायल थे। घायल अपराधियों को अस्पताल भेजा गया और घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. सबसे पहले आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री नीरज कुमार गुर्जर ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि तथाकथित आरोपी ओम प्रकाश की घटना के दौरान पुलिस की गोलीबारी के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपनी शक्तियों का अनियंत्रित रूप से उपयोग करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप ओम प्रकाश की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कोई भी पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ और पुलिस टीम के सदस्यों में से कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस मामले में, आरोपी के वाहन से हथियारों की कथित बरामदगी झूठी और मनगढ़ंत है। वास्तव में, आवेदक के पास कोई हथियार नहीं था और वह निहत्था था, यही कारण है कि घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। यह भी तर्क दिया गया कि बुलेटप्रूफ जैकेट पर कभी भी गोली के निशान बन सकते हैं और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि वे वर्तमान घटना के दौरान आरोपी द्वारा की गई गोलीबारी के निशान थे। पुलिस ने मामले को और गंभीर बनाने के लिए वाहन में 332 ग्राम चूरा पोस्त डाल दिया। यदि घटना के समय वाहन में वास्तव में चूरा पोस्त होता तो यह तथ्य उपनिरीक्षक लाखा राम द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई एफ.आई.आर. में दर्ज होता, लेकिन जांच में यह तथ्य कथित रूप से सिद्ध पाया गया है। जांच के बाद आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है और मामले की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं हुई है। अपने अंतिम तर्क में उन्होंने कहा कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. दूसरी ओर, श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री अरुण कुमार, लोक अभियोजक द्वारा सहायता प्राप्त, आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न तर्कों पर आपत्ति करते हुए,

दृढ़ता से प्रस्तुत करेंगे कि पुलिसकर्मी इस घटना में इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी। दोनों अपराधियों का इरादा निश्चित रूप से पुलिस टीम के सदस्यों की हत्या करने का था, जिसके कारण उन्होंने बार-बार फायरिंग की। घटना के दौरान पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया और आरोपियों के हथियार उनके वाहन से ही बरामद किए गए। आवेदक आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। इसलिए, वह आवेदक की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

5. मैंने आवेदक के वकील और सरकारी वकील के तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। घटना के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को कोई हताहत या चोट नहीं आई। इसके विपरीत, आवेदक स्वयं इस घटना में घायल हुआ और उसके कथित साथी ओम प्रकाश की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई। घटना के समय पुलिस टीम ने आरोपी के वाहन का निरीक्षण किया था। पुलिस को वाहन में खून और आरोपी के हथियार मिले, हालांकि वाहन में बिखरे हुए पोस्त-भूसे का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया, जो कि स्वाभाविक उल्लेख होता, यदि ऐसा होता। पोस्त-भूसे की मात्रा 332 ग्राम है।

7. इस स्तर पर, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मैं मामले के गुण-दोष में जाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मेरे सामने रखी गई सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर गहन विचार करने के बाद

कि आवेदक पिछले 08.07.2023 से हिरासत में है; चूंकि यह न्यायालय महसूस करता है कि आवेदक के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं; सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है तथा आवेदक को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

8. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता कौशल राम पुत्र खेराजराम, जिसे पुलिस स्टेशन गिड़ा, जिला बाड़मेर में दर्ज एफआईआर संख्या 151/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह विद्वान निचली अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की सभी तिथियों पर तथा जब भी बुलाया जाए, उस अदालत के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण, अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर, तथा जमानत प्रस्तुत करने वाले जमानतदार, शपथ-पत्र के रूप में अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक और शाखा का नाम, प्रस्तुत करेंगे, तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के अंतर्गत जुर्माना राशि की वसूली की आवश्यकता पड़ने पर आसानी से जुर्माना राशि की वसूली की जा सके।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।